

17/11/25 पञ्जाबली सेवा हुई। जहाँ अधिकारता
उप-1) जहाँ अधिकारता राज मूल बाद
सं. 15/1/25 की आदेशिका पर विचारणीय
भी होने का सुझाव करते हुए उद्घृत बाद
पत्र की जांच करने का अनुरोध किया
गया। जहाँ द्वारा उद्घृत बाद पत्र संख्या
15/1/25 उन्वान अंबर बराम उमदेकी
वर्ग की जांच किया जा चुका है अतः
जहाँ द्वारा उद्घृत मूल बाद संख्या 15/1/25
जांच किया जा चुका है। जहाँ द्वारा उद्घृत
मूल बाद जांच किये जाने से प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 212 अधिनियम का बतलावी
अधिनियम में कोई कार्यवाही अपेक्षित
नहीं है। अतः जहाँ द्वारा उद्घृत प्रार्थना
पत्र जांच किया जा चुका है। निधि करे
अवसाम सुनाया गया। पञ्जाबली माल सुमार
होकर वार्षिक पत्र ही और नम्बर से कम
है।


17/11/25

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा